FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर, अलवर मुकाम अलवर

उनवान सुरेन्द्र सिंह बनाम लोक अभियोजक अलवर वगै0

किस्म मुकदमा अपील विरूद्ध बाल कल्याण समिति अलवर

दायर नम्बर 12/63/2025 दायर दिनांक 12.05.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2025	आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। उभय पक्ष की अपील क्षेत्राधिकार पर बहस सुनी गई। अपीलांट ने यह अपील बाल कल्याण समिति अलवर के आदेश दिनांक 09.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। जिसमें अपीलांट की दोनों बच्चीयों के संबंध में सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत किया गया प्रा0पत्र प्रार्थी निरस्त कर दिया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना उद्योग नगर अलवर की एफआईआर सं0 52/2025 बालिका खुशबू उर्फ फट्टू उर्फ शशि शर्मा पुत्री सुरेन्द्र सिंह उम्र 16 वर्ष एवं रितिका उर्फ टिन्नी पुत्री सुरेन्द्र सिह उम्र 17 वर्ष जाति राणा निवासी गढ़ बिणजारी थाना राजगढ़ जिला अलवर को पुलिस ने दिनांक 16.04.2025 को समय 8.20 पीएम पर बालिकाओ को बाल कल्याण समिति अलवर के समक्ष पेश किया गया। बाल कल्याण समिति के आदेश दिनांक 09.05.2025 को अपने आदेश में अंकित किया गया कि बालिका के माता–पिता के मध्य विवाद, झगड़ा व मुकदमे जारी है। उक्त प्रकरण में बालिकाओं की कस्टड़ी को लेकर पति–पत्नि में विवाद है। बाल अधिकारिता विभाग जयपुर राज सरकार के क्रमांक एफ20(14) बाआवि/कि.न्या. अ/दिशा नि./2017/8426–458 दिनांक 26.05.2022 के अनुसार पारिवारिक प्रकरणों यथा पति–पत्नि के मध्य बच्चे की अभिरक्षा/मुलाकात का हक के संबंध में विवाद पारिवारिक न्यायालय से जुडे है। ऐसे प्रकरण में हस्तक्षेप नहीं किया जावे। मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसे प्रकरणों में समिति के द्वारा किए गए हस्तक्षेप को गम्भीरता से लिया गया है। ऐसे प्रकरण बाल कल्याण समिति अलवर के कार्य क्षेत्र से बाहर होने पर प्रा0पत्र	

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

खारिज कर दिया गया। अपील अपीलांट प्रस्तुत कर बाल कल्याण समिति के आदेश दिनांक 09.05.2025 को निरस्त कर बालिकाओं को अपीलांट को सुपुर्द करने का निवेदन किया गया है। उक्त अपील के क्षेत्राधिकार के समर्थन में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 101(1) नजिर स्वरूप पेश कर कथन किया कि उक्त अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

सरकार की और से जरिये लोक अभियोजक अलवर ने कथन किया कि ऐसे प्रकरण जिनमें माता–पिता के मध्य विवाद, झगड़ा व मुकदमे बाजी है तो बालिकाओं की कस्टडी हेतु बाल अधिकारिता विभाग जयपुर राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 26.05.2022 के अनुसार पारिवारिक प्रकरणों यथा पति–पत्नि के मध्य बच्चे की अभिरक्षा/मुलाकात का हक के संबंध में विवाद पारिवारिक न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है। साथ ही मान0 उच्च न्यायालय कर्नाटक के निर्णय दिनांक 07.02.2019 बउनवान नीधी लुहार बनाम राज्य सरकार कर्नाटक में भी उक्त प्रकार के प्रकरणों में पारिवारिक न्यायालय को कस्टडी के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अपील अपीलांट द्वारा पेश नजिर प्रकरण में चस्पा नहीं होती है। इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अपील अपीलांट इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने पर खारिज की जाती है एवं पक्षकारान सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिवजाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)